बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक-362 दिनांक-12.01.2018 द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। मुख्यालय ज्ञापांक-7458 दिनांक-21.07.2018 द्वारा इन सेवानिवृत सहायक प्रबंधकों को सहायक प्रबंधक, (संविदा) के रिक्त पदों पर चयन हेतु योग्य पाया गया है। इनके पैतृक विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में इन्हें औपबंधिक रूप से संविदा पर नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित पद हेतु अगले 11 माह के लिए नियुक्त किया जाता है। संबंधित अभ्यार्थियों को निदेश है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही निगम मुख्यालय, पटना में पी0पी0ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ योगदान करना सुनिश्चित करें। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

क्र0	सहायक प्रबंधक (संविदा) का नाम	सेवानिवृति का पद	गृह जिला	सेवानिवृति कार्यालय	कोटि	पदनाम जिसके विरूद्ध चयन किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री रघुवंश प्रसाद	सहायक गोदाम प्रबंधक	मोतिहारी	भूमि विकास बैंक	अ0पि0वर्ग	सहायक प्रबंधक	
2.	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	शाख प्रबंधक	पटना	भूमि विकास बैंक	अनारक्षित	सहायक प्रबंधक	

शर्तेः-

1. अभ्यार्थियों की तत्काल अपौबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में अथवा सेवानिवृति कार्यालय से कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यार्थियों की सेवा तत्कालीक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
2. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के साथ ही निगम मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. सभी अभ्यर्थी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
5. उल्लेखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कोइ बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
7. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
8. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगी।

9/1.3.19

9. इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

विश्वासभाजन

ह0/–

उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांकः–03:02:77:01:2018– 2614 दिनांकः– 01/3/19

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य महाप्रबंधक, जन वितरण/अधिप्राप्ति/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/गोपनीय शाखा निगम, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रभारी नियंत्रण कक्ष निगम मुख्यालय पटना को निदेश है कि निगम कें बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यार्थियों को सूचना प्राप्त हो सके।

1.3.19

उप महाप्रबंधक, प्रशासन।

Rakesh-446